

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय  
मिड डे मील योजना  
(Mid Day Meal Scheme)



एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2019-20/708  
जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय-प्रारम्भिक शिक्षा,  
समस्त।

दिनांक : 6/9/19

विषय:- द्वितीय त्रैमास के लिये आवंटित खाद्यान्न के उठाव की अवधि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।  
प्रसंग:- एसएण्डएस.2(7) /आरओजे/एमडीएम आवंटन / 2019-20  
दिनांक 06.09.2019


उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि द्वितीय त्रैमास ( जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 ) के लिये आवंटित खाद्यान्न (गेहूं / चावल) के उठाव की वैधता अवधि दिनांक 15.09.2019 तक की गई है।

अतः निर्धारित तिथि से पूर्व सम्पूर्ण खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में आवंटित खाद्यान्न, उठाव के अभाव में लैप्स नहीं हो यह सुनिश्चित करें।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

www.rajteachers.com

एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2019-20/708  
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिला कलक्टर।
2. सहायक महाप्रबन्धक (स्कन्ध एवं बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
3. समस्त जिला रसद अधिकारी।
4. प्रभारी आईटी सैल को को ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

  
(हेम प्रसाद)  
अति.आयुक्त (वित्त)  
मिड डे मील  
दिनांक : 6/9/19

  
उपायुक्त (क्रि.एवं मू.)



क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर:4, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर-302015, दूरभाष नं. 0141-2743137-40

Regional Office Jaipur: 4, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur-302015, Phone no. 0141-2743137-40

क्रमांक : एसएण्डएस. 2(7)/ आरओजे/ एमडीएम आवंटन/ 2019-20/ 79

दिनांक: 06.09.2019

श्रीमान अति. आयुक्त (वित्त),

अति - आवश्यक/ ई-मेल

मिड डे मील योजना

आयुक्तालय,

राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय: द्वितीय त्रैमास के लिए खाद्यान्न के उठाव की अवधि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 4 (142) प्रा.शिक्षा/ एमडीएम/ एफ.सी.आई./ खाद्यान्न उ.वि.आ./पार्ट/ 2019-20/ 698-99 दिनांक 06.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय त्रैमास (जुलाई 2019 से सितम्बर 2019) के लिए जिलों को आवंटित 39,048.380 मै.टन खाद्यान्न (गेहूं/ चावल) का सम्पूर्ण उठाव राज्यों में कुछ जिलों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण निर्धारित वैधता अवधि दिनांक 31.08.2019 तक नहीं हो सका। अतः राज्य सरकार के निवेदन पर उठाव से शेष रही मात्रा के उठाव की वैधता अवधि दिनांक 15.09.2019 तक बढ़ाने हेतु महाप्रबन्धक (क्षेत्र) द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

इस क्रम में आपसे निवेदन है कि उठाव से शेष रही खाद्यान्न की मात्रा का उठाव विस्तारित वैधता अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही आपसे अनुरोध है कि आगामी त्रैमासों के दौरान आवंटित खाद्यान्न का सम्पूर्ण उठाव भारत सरकार के नवीनतम/ संशोधित दिशा- निर्देशों (दिनांक 25.04.2019 को जारी) को ध्यान में रखते हुए वैधता अवधि में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

संलग्न: यथोपरि

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

प्रतिलिपि:

1. मण्डल प्रबन्धक, मण्डल कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय (उत्तर), नोएडा--- को सूचनार्थ।
3. सहायक महाप्रबन्धक (परिचालन/ वित्त एवं लेखा), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर--- को सूचनार्थ।

भवदीय,  
  
06/09/2019  
प्रबन्धक (स्कन्ध एवं बिक्री)  
कृते महाप्रबन्धक (क्षेत्र)

कृते महाप्रबन्धक (क्षेत्र)